कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश
क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़

पता– नई कंपोजिट बिल्डिंग
कलेक्टर परिसर बिलासपुर (छ.ग.)
दूरभाष –07752-250081
फैक्स – 07752-250081
ई–मेल- cgtownplan_bilaspur@gmail.com

Add.-New Composit Building
Collector Parisar Bilaspur (C.G.)
Tel– 07752-250081
Fax – 07752-250081
E-Mail- cgtownplan.bilaspur@gmail.com

क्रमांक / 1130 / मुंगेली डाय.–08 / न.ग्रा.नि / 2025 बिलासपुर दिनांक 23/05/25

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
मुंगेली, जिला– मुंगेली (छ0ग0)

विषयः– शैक्षणिक प्रयोजन हेतु अभिमत बाबत्।
(आवेदक अध्यक्ष, जेसीज, शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति मुंगेली (छ0ग0)

संदर्भ – 1– आपका ज्ञापन क्रमांक / 66 / अ.वि.अ. / रीडर–1 / 2024 मुंगेली, दिनांक 09.01.2025.
2– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 316 दिनांक 04.02.2025
3– आपका ज्ञापन क्रमांक / 932 / अ.वि.अ. / रीडर–1 / 2025 मुंगेली, दिनांक 23.04.2025

उपरोक्त विषयान्तर्गत वर्णित विकास कार्य को क्रियान्वित करने के लिए मौजा चातरखार, प.ह.नं. 13, रा. नि.मं. मुंगेली, तहसील मुंगेली, जिला मुंगेली (छ0ग0) स्थित भूमि खसरा क्रमांक 71/2 कुल रकबा 1.279 हे0 भूमि जो कि निवेश क्षेत्र के बाहर स्थित है, पर शैक्षणिक प्रयोजन प्रयोजन हेतु अभिमत चाहा गया है। आवेदित भूमि छ0ग0 नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम 2017 की धारा 13 के तहत गठित निवेश क्षेत्र की सीमा अंतर्गत नही होने से नियोजन विकास की दृष्टि से विभागीय अभिमत निम्न शर्तो के अध्यधीन दिया जाता है :–

1. यह अभिमत आवेदक के द्वारा प्रस्तुत प्रश्नाधीन भूमि की स्थिति को बतलाए अनुसार दी जा रही है। किसी भी प्रकार की भिन्नता पाए जाने पर आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। इसके लिए इस विभाग की कोई जवाबदारी नही होगी तथा प्रदाय की गई अभिमत स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
2. लोक निर्माण विभाग उप संभाग मुंगेली के पत्र क्रमांक 326 दिनांक 18.03.2025 के अनुसार मार्ग मध्य से 12.5–12.5 मीटर छोड़कर अनापत्ति जारी किया गया है। मार्ग संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में इस कार्यालय की कोई जबावदारी नहीं होगी।
3. विकास कार्य प्रारंभ करने के पूर्व नियमानुसार विकास शुल्क संबंधित विभाग में जमा करना आवश्यक होगा।
4. प्रश्नाधीन भूमि पर निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित सभी विभाग से स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
5. निजी भूमि स्वामित्व के बाहर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न किया जावे।
6. शासकीय भूमि पर किसी प्रकार का अतिकमण न किया जावें।
7. प्रश्नाधीन क्षेत्र में निर्धारित मापदण्ड अनुसार वृक्षारोपण करना आवश्यक होगा।
8. ठोस अपशिष्ठ पदार्थ व उससे निर्मित सामग्री को संग्रहित करने हेतु कुड़ेदान का उपयोग किया जाए। ठोस अपशिष्टों के संग्रहण एवं निपटान की सम्पूर्ण एवं विस्तृत प्रणाली ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रावधान अनुसार किया जावे।
9. भूखण्ड के अंतर्गत छोड़ी गई उपांतीय खुली भूमि (मार्जिनल ओपन स्पेस) पर किसी प्रकार का निर्माण न किया जावे।
10. शैक्षणिक प्रयोजन हेतु आवश्यक खुला स्थान, खेल मैदान, प्रयोगशाला, शिक्षक भवन की व्यवस्था नियमानुसार किया जावे।

क्रमशः / / 2 / /

11. शासन के निर्देशानुसार निर्माण कार्य हेतु 25 प्रतिशत फ्लाई ऐश बिक्स का प्रयोग किया जावे। प्रश्नाधीन भूमि पर भवन निर्माण करने हेतु शासकीय या अर्ध शासकीय विभागों से अनापत्ति/अनुमति प्राप्त करना आवश्यक हो तो उसे प्राप्त किया जावे।

12. निजी भूमि स्वामित्व के बाहर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न किया जावे एवं मार्ग संबंधी अनापत्ति प्राप्त करना हो तो प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
13. भूमि स्वामी द्वारा शासकीय भूमि जैसे सड़क, सार्वजनिक् स्थल, खुला क्षेत्र, पार्क, अन्य निजी भूमि पर अतिक्रमण न किया जावे, एवं अन्य उपयोग में नहीं लिया जावे। ऐसी स्थिति में अभिमत स्वयं निरस्त मानी जावेगी।
14. आवेदक/संस्था द्वारा मानचित्र में दर्शाये अनुसार सेवा सुविधाए जैसे जल मल निकास सिवरेज, पानी पेय जल, आदि का विकास करना सुनिश्चित किया जावे।
15. प्रस्तावित क्षेत्र में आदिवासी की भूमि अथवा वन भूमि या अन्य की भूमि समावेश पाये जाने पर यह अभिमत निरस्त मानी जावेगी।
16. स्थल पर प्रस्तावित निर्माण को दर्शाते हुए मानचित्र का बोर्ड लगाया जाना आवश्यक होगा।
17. वाहनों की पार्किंग मार्ग के अंतर्गत न किया जाय।
18. आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार की मिथ्या जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर यह अनापत्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
19. जनापत्ति/न्यायालयीन विवाद की स्थिति में यह अनापत्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
20. निर्धारित नियमों एवं मापदण्डों के अनुसार व्यपवर्तन किया जाता है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

उपरोक्त शर्तो के आधार पर यह केवल तकनीकी अभिमत है इसे किसी प्रकार अनापत्ति/अनुमति/अनुज्ञा न माना जावे। स्वामित्व अथवा अन्य विवादों के लिए इस कार्यलय की कोई जबावदारी नही होगी।

संलग्न–मानचित्र की एक प्रति।

प्र.संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
बिलासपुर (छ0ग0)